न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 24 सन 2022

अनवान :–

1. हनुमानसिह पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. राममूर्ति पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. विमला देवी पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. राजबाला पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. तारावती पत्नी स्व शिशपाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
6. चन्दो पुत्री ज्ञानों पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
7. कृष्णा पुत्री ज्ञानो पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
8. अंगुरी पुत्री ज्ञानों पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
9. कमलेश पुत्री ज्ञानों पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
10. बाला पुत्री ज्ञानो पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
11. ईश्वर पुत्र ज्ञानो पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
12. जगदीश पुत्र ज्ञानो पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
13. महेन्द्र पुत्र ज्ञानो पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
14. सुरेन्द्र पुत्र ज्ञानो पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
15. जयप्रकाश पुत्र रूकमा पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
16. रामेती पुत्री रूकमा पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
17. परमेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 157/151 की कुल 3.0360हैक भूमि जिसमें ज्ञानो पुत्री हरलाल 1/5 हिस्सा , दयाचन्द पुत्र हरलाल 1/5 हिस्सा रूकमा पुत्री हरलाल 1/5 हिस्सा , श्योकारी पत्नी हरलाल 1/5 हिस्सा , शिशपाल पुत्र हरलाल 1/5 हिस्सा दर्ज एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 159/153 की कुल 1.2650हैक जिसमें दयाचन्द पुत्र हरलाल उर्फ हीरालाल के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र सुखराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र सुखराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

श्योकारी पत्नी हरलाल , दयानन्द पुत्र हरलाल , रूकमा पुत्री हरलाल , ज्ञानो पत्नी हरलाल , शिशपाल पुत्र हरलाल फोत हो चुके है जिसमें दयानन्द अविवाहित फोत हुआ है जिसके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है जो श्योकारी पत्नी हरलाल , दयानन्द पुत्र हरलाल , रूकमा पुत्री हरलाल , ज्ञानो पत्नी हरलाल , शिशपाल पुत्र हरलाल के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 श्योकारी पत्नी हरलाल , दयानन्द पुत्र हरलाल , रूकमा पुत्री हरलाल , ज्ञानो पत्नी हरलाल , शिशपाल पुत्र हरलाल के वारिसान एवं वादी के बहिन, भानजा , भानजी है प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त मे इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की श्योकारी पत्नी हरलाल , दयानन्द पुत्र हरलाल , रूकमा पुत्री हरलाल , ज्ञानो पत्नी हरलाल , शिशपाल पुत्र हरलाल के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्योकारी पत्नी हरलाल , दयानन्द पुत्र हरलाल , रूकमा पुत्री हरलाल , ज्ञानो पत्नी हरलाल , शिशपाल पुत्र हरलाल के नाम से दर्ज है जो वादी के पूर्वज है जिनका देहान्त हो चुका है उक्त में से दयानन्द अविवाहित फोत हुआ है इसलिये इनके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है इनके नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 18 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 157/151 की कुल 3.0360हैक भूमि जिसमें ज्ञानो पुत्री हरलाल 1/5 हिस्सा , दयाचन्द पुत्र हरलाल 1/5 हिस्सा रूकमा पुत्री हरलाल 1/5 हिस्सा , श्योकारी पत्नी हरलाल 1/5 हिस्सा , शिशपाल पुत्र हरलाल 1/5 हिस्सा दर्ज एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 159/153 की कुल 1.2650हैक जिसमें दयाचन्द पुत्र हरलाल उर्फ हीरालाल के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र सुखराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र सुखराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

श्योकारी पत्नी हरलाल , दयानन्द पुत्र हरलाल , रूकमा पुत्री हरलाल , ज्ञानो पत्नी हरलाल , शिशपाल पुत्र हरलाल फोत हो चुके है जिसमें दयानन्द अविवाहित फोत हुआ है जिसके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है जो श्योकारी पत्नी हरलाल , दयानन्द पुत्र हरलाल , रूकमा पुत्री हरलाल , ज्ञानो पत्नी हरलाल , शिशपाल पुत्र हरलाल के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 श्योकारी पत्नी हरलाल , दयानन्द पुत्र हरलाल , रूकमा पुत्री हरलाल , ज्ञानो पत्नी हरलाल , शिशपाल पुत्र हरलाल के वारिसान एवं वादी के बहिन, भानजा , भानजी है प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई / पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 157 / 151 की कुल 3.0360हैक भूमि जिसमें ज्ञानो पुत्री हरलाल 1 / 5 हिस्सा , दयाचन्द पुत्र हरलाल 1 / 5 हिस्सा रूकमा पुत्री हरलाल 1 / 5 हिस्सा , श्योकारी पत्नी हरलाल 1 / 5 हिस्सा , शिशपाल पुत्र हरलाल 1 / 5 हिस्सा दर्ज एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 159 / 153 की कुल 1.2650हैक जिसमें दयाचन्द पुत्र हरलाल उर्फ हीरालाल के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज श्योकारी पत्नी हरलाल , दयानन्द पुत्र हरलाल , रूकमा पुत्री हरलाल , ज्ञानो पत्नी हरलाल , शिशपाल पुत्र हरलाल के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है इनके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है जो इनके नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 157 / 151 की कुल 3.0360हैक भूमि जिसमें ज्ञानो पुत्री हरलाल 1 / 5 हिस्सा , दयाचन्द पुत्र हरलाल 1 / 5 हिस्सा रूकमा पुत्री हरलाल 1 / 5 हिस्सा , श्योकारी पत्नी हरलाल 1 / 5 हिस्सा , शिशपाल पुत्र हरलाल 1 / 5 हिस्सा दर्ज एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 159 / 153 की कुल 1.2650हैक जिसमें दयाचन्द पुत्र हरलाल उर्फ हीरालाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो वहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हनुमानसिह पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. राममूर्ति पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. विमला देवी पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. राजबाला पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. तारावती पत्नी स्व शिशपाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
6. चन्दो पुत्री ज्ञानों पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
7. कृष्णा पुत्री ज्ञानो पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
8. अंगुरी पुत्री ज्ञानों पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
9. कमलेश पुत्री ज्ञानों पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
10. बाला पुत्री ज्ञानो पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
11. ईश्वर पुत्र ज्ञानो पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
12. जगदीश पुत्र ज्ञानो पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
13. महेन्द्र पुत्र ज्ञानो पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
14. सुरेन्द्र पुत्र ज्ञानो पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
15. जयप्रकाश पुत्र रूकमा पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. रामेती पुत्री रूकमा पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
17. परमेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 24 सन 2022 निर्णय दिनांक– 23/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 157/151 की कुल 3.0360हैक भूमि जिसमें ज्ञानो पुत्री हरलाल 1/5 हिस्सा , दयाचन्द पुत्र हरलाल 1/5 हिस्सा रूकमा पुत्री हरलाल 1/5 हिस्सा , श्योकारी पत्नी हरलाल 1/5 हिस्सा , शिशपाल पुत्र हरलाल 1/5 हिस्सा दर्ज एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 159/153 की कुल 1.2650हैक जिसमें दयाचन्द पुत्र हरलाल उर्फ हीरालाल के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)